

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 294, 295, 296, 297 व 307 / 2009 / उदयपुर

मैसर्स श्री राजस्थान टैक्सकेम लि.,
एसआरएसएल हाऊस,
पोस्ट बॉक्स नं.209, राष्ट्रीय राजमार्ग–8,
पुला भुवाना रोड, उदयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत्त, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य
श्रीमति आशा कुमारी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी,
अधिवक्ता ।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 26.03.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी, व्यवहारी द्वारा यह अपीलें उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स), उदयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 16.12.2008 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो क्रमशः अपील संख्या 232 / आरएसटी / 2005–06, 10 / सीएसटी / 2005–06, 216 / आरएसटी / 2006–07, 19 / सीएसटी / 2006–07 व 46 / आरएसटी / 2006–07, के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, उदयपुर (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 29, 58, 61 व 65 सपष्टित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे “केन्द्रीय अधिनियम” कहा जायेगा) के तहत तालिकानुसार निर्धारण वर्षों के लिये जरिये पृथक–पृथक् निर्धारण आदेश के लिये तालिकानुसार कायम मांग राशियों पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है ।

तालिका

अपील संख्या	निर्धारण वर्ष व अन्तर्गत धारा	निर्धारण आदेश पारित दिनांक	कर व सरचार्ज	शास्ति	ब्याज
294 / 2009	2003–04	27.12.2005	6,67,514 / –	13,35,028 / –	1,80,229 / –
295 / 2009	2003–04	27.12.2005	1,06,791 / –	2,13,582 / –	28,833 / –
296 / 2009	2004–05	09.02.2007	5,44,877 / –	–	1,85,258 / –
297 / 2009	2004–05	09.02.2007	28,627 / –	–	9,734 / –

लगातार.....2

24

12

अपील संख्या – 294, 295, 296, 297 व 307 / 2009 / उदयपुर

2. चूंकि पांचों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु सादृश्य है। अतः पांचों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3. अपील संख्या– 294, 295, 296 व 297 / 2009 / उदयपुर के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधियों का निर्धारण आदेश पारित करते समय, निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिकी कर प्रोत्साहन योजना, 1989 (जिसे आगे “प्रोत्साहन योजना” कहा जायेगा) के अन्तर्गत आलोच्य अवधि अर्थात् निर्धारण वर्ष 2003–04 में अधिनियम के तहत् रु.42,31,18,929/- विक्रय होना घोषित किया गया है। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रु.3,86,96,448/- के विक्रय किये गये डी.ई.पी.बी लाईसेन्स प्रोत्साहन योजना के तहत् कर मुक्ति लाभ के तहत् घोषित कर, उक्त के विक्रय पर 75 प्रतिशत करमुक्ति तथा 25 प्रतिशत करदेयता घोषित की गयी है। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत डी.ई.पी.बी. लाईसेंस को अपीलार्थी व्यवहारी का मूल/सह उत्पाद नहीं होना अवधारित कर, उक्त पर करमुक्ति लाभ का पात्र नहीं होना मानकर, उक्त के विक्रय मूल्य पर करारोपण किया है। साथ ही यह भी पाया कि पूर्ववर्ती वर्षों में नियमानुसार डीईपीबी लाईसेंस पर कर अदा किया है यहाँ तक कि आलोच्य वर्ष के दो तिमाही तक नियमानुसार कर अदा किया है। इस प्रकार निर्धारण अधिकारी ने यह अवधारित किया कि प्रोत्साहन योजना जिसके तहत् अपीलार्थी व्यवहारी को राज्य में निर्मित उत्पाद/सह उत्पाद पर ही बिक्री करमुक्ति लाभ देय है जिसके तहत् अपीलार्थी व्यवहारी केवल अपने उत्पाद/सह उत्पाद पर ही प्रोत्साहन योजना के तहत् करमुक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डी.ई.पी.बी के विक्रय पर मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त होता है जो किसी भी प्रकार से निर्मित उत्पाद/सह उत्पाद नहीं है। अतः उक्त आधार पर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सुनवायी पर प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार कर, तालिकानुसार कर, सरचार्ज व ब्याज की मांग राशि कायम कर, अधिनियम की धारा 65 के तहत् शास्ति आरोपित कर, पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेश पारित किये गये। उक्त पारित निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार कर दिया गया। जिससे व्यक्ति होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

अपील संख्या–309 / 2009 / उदयपुर के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त समान बिन्दुओं पर निर्धारण वर्ष 1999–2000, 2001–02 व 2002–03 के लिये पारित निर्धारण आदेशों को परिशोधित करने हेतु अधिनियम की धारा 37 के तहत्

31

12

लगातार.....3

अपील संख्या – 294, 295, 296, 297 व 307 / 2009 / उदयपुर
संयुक्त परिशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 21.04.2006 को प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 1999–2000 के संबंध में प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को अवधि पार होना अवधारित कर, खारिज कर दिया तथा निर्धारण वर्ष 2001–2002 व 2002–03 लिये प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को उपर्युक्त वर्णित प्रोत्साहन योजना के विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में अस्वीकार कर, आदेश दिनांक 10.05.2006 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर पारित अपीलीय आदेश को अविधिक होने का कथन कर तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी सक्षम छानबीन समिति द्वारा बिकी कर प्रोत्साहन योजना के तहत छूट प्राप्तकर्ता व्यवहारी है तथा आलोच्य अवधियों में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा भारत के बाहर अपने उत्पादों का निर्यात किया गया एवम् उक्त किये गये निर्यात के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी को निदेशक, विदेश व्यापार भारत सरकार द्वारा ड्यूटी इन्टार्फिलमेन्ट पास बुक(डी.ई.पी.बी.) लाईसेंस जारी किये गये। अतः डी.ई.पी.बी. के विक्रय पर अपीलार्थी व्यवहारी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत नियमानुसार कर मुक्ति का पात्र है। यह भी कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी की औद्योगिक ईकाई को कर से छूट दी गयी है। अतः ईकाई द्वारा किये गये डी.ई.पी.बी. के विक्रय पर भी कर से छूट प्राप्त है। अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य वर्ष में 50 प्रतिशत के लगभग डी.ई.पी.बी लाईसेंस विक्रय पर पूर्ण कर दिया है व राज्य कोष में जमा करवाया गया है जिसका रिफण्ड देय है। अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों को प्रोद्धरित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

1. वा.क.अ. बनाम् एमजोल इण्डिया प्रा.लि. 23 टैक्स वल्ड 243
2. मैसर्स सनराईज एसोसियोट्स बनाम् एन.सी.टी, नयी दिल्ली, सिविल अपील कमांक 4552 / 1998 निर्णय दिनांक 28.04.2006(सु.को.)
3. वा.क.अ. श्रीगंगानगर बनम् मैसर्स दुर्गश्वरी फुड्स लि. श्रीगंगानगर 32 टैक्स अपडेट 3

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति के संबंध में तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं

201

1

लगातार.....4

गया है। चूंकि हस्तगत अपील प्रकरण में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है:-

- (i) वाणिज्यिक कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल, पाली बनाम् मैसर्स सोजत लाईम कम्पनी, 74 एस.टी.सी.288 (राज.)
- (ii) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स राजस्थान वाईन 87 एस.टी.सी. 362 (राज.)
- (iii) मैसर्स प्रेमचन्द ताराचन्द बनाम् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी 104 एस.टी.सी. 351 (आर.टी.टी.)
- (iv) मैसर्स विजय होजरी बनाम् राजस्थान राज्य 45 एस.टी.सी. 345 (राज.)
- (v) मैसर्स लार्ड वैंकटेश्वरा कैटरर्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर 19 टैक्स अपडेट 85(राज.) ग
- (vi) मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. बनाम् उड़ीसा राज्य 25 एस.टी.सी 211 (सु.को.)
- (vii) टी.अशोक पाई बनाम् कमिशनर ऑफ इन्कम टैक्स 13 आर.एस.टी.आर. 201 (सु.को.)
- (viii). वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, अजमेर बनाम् पहाड़िया टैक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन ब्यावर 7 वैट रिपोर्टर 132 (राज.)
- (ix) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी. एस.टी. 249 (सु.को.)
- (ix) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी. एस.टी. 249 (सु.को.)
- (x) मैसर्स प्रिन्स स्टोन कम्पनी बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन-प्रथम, कोटा 30 टैक्स अपडेट 9
- (xi) मैसर्स यूनीफ्लैक्स केबल्स लि. बनाम् कमिशनर सेन्ट्रल एक्साईज, सूरत (2011) 40 पीएचटी 28 (सु.को.)

इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति के बिन्दु पर पारित आदेश अविधिक होने का

लगातार.....5

अपील संख्या – 294, 295, 296, 297 व 307 / 2009 / उदयपुर
कथन कर, उक्त बिन्दु पर भी अपीलीय आदेश अपास्त करने की प्रार्थना की गयी।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरणों में इस पीठ के समक्ष जो बिन्दु निर्णयार्थ है वह यह कि अपीलर्थी व्यवहारी विदेश से पॉलिस्टर विस्कोस फाईबर का आयात कर सिन्थेटिक यार्न का वि-निर्माण कर, उक्त का विक्रय देश के अन्दर व देश के बाहर किया जाता है। इस संबंध में भारत सरकार की नीति अनुसार उत्पादित माल के निर्यात के फलस्वरूप प्रदान की गयी डी.ई.पी.बी. के विक्रय मूल्य पर अपीलर्थी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ का पात्र है कि नहीं? इस संबंध में प्रोत्साहन योजना के लिये जारी विज्ञप्ति का अध्ययन किया गया जो इस प्रकार है:—

एफ.4(35)एफडीग्र.IV / 97-38 दिनांक 06.07.1989

“ In exercise of the powers conferred by S.4(2), RST Act, 1954 the State Government hereby notifies the “Sales Tax New Incentive Scheme for Industries, 1989” and exempts the industrial units from payment of tax on the sale of the goods [including bye-products and waste items] manufactured by them within the State [and in case of packing material used therewith, the benefit will be available only if it is linked with fixed capital investment,] in the manner and to the extent and for the period as covered by this notification.

इसी प्रकार उक्त जारी प्रोत्साहन योजना के भाग 4 में अंकित है कि “ An industrial unit, which is granted eligibility certificate under this notification shall be exempted from payment of tax on sales made the course of inter State trade and commerce of the goods manufactured by it in accordance with the parameters incorporated in Annexure “C” to this notification.

इसी प्रकार उक्त जारी प्रोत्साहन योजना के भाग 4 (i) में अंकित है कि— “During the currency of Eligibility Certificate, the unit concerned shall be exempted from payment of tax on the intra State sales/inter State sales of goods and bye products manufactured by it within the State, including the waste items derived therefrom and the packing material used therewith.

उक्त प्रोत्साहन योजना के उक्त विशिष्ट प्रावधानों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि प्रोत्साहन योजना के तहत विहित लाभ उसी स्थिति में ही देय जब विक्रय की गयी वस्तु स्वयं द्वारा उत्पादित की हुई हो क्योंकि उक्त में स्पष्ट अंकित है “exempted from payment of tax on sales made the course of inter State trade and

अपील संख्या - 294, 295, 296, 297 व 307 / 2009 / उदयपुर commerce of the goods manufactured by it " अब जो बिन्दु निर्णयार्थ है वह यह कि क्या अपीलार्थी द्वारा उत्पादित माल यार्न का निर्यात किये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार की नीति अनुसार निर्यात किये जाने के प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त अप्रत्यक्ष लाभ डी.ई.पी.बी पर इसके विक्रय पर देय कर को प्रोत्साहन योजना में स्वीकृत कर छूट सम्बन्धी लाभ में सम्मिलित किया जा सकता है अथवा नहीं ? इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन कि उक्त सह-उत्पाद की परिधि में आता है और ऐसे उत्पाद के विक्रय पर बनने वाले कर को प्रोत्साहन योजना की परिधि में माना जाना चाहिये, स्वीकार योग्य नहीं है । क्योंकि यार्न उत्पादन करने वाली ईकाई में वेस्ट(Waste) यार्न जो उत्पादन की प्रक्रिया में एक सीमा तक बच जाता है वह सह-उत्पाद हो सकता है न कि निर्यात के फलस्वरूप प्राप्त डी.ई.पी.बी । इस सन्दर्भ में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत कर्नाटक राज्य बनाम बालाजी कम्प्युटर्स व अन्य – (2007)वेट रिपोर्टर वोल्यूम 7 पार्ट 1 पेज 9 का अध्ययन किया गया उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि "when language employed in the exemption notfn is debatable it had to be understood in the context in which exemption notfn is issued."

इसी क्रम में प्रोत्साहन योजना के भाग / क्रमांक 4 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है कि युनिट में स्वयं के द्वारा किये गये उत्पादित माल के विक्रय पर बनने वाले कर पर ही लाभ दिया जा सकता है । अन्य प्रकार की वस्तुओं के विक्रय पर बनने वाले कर को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है ।

हस्तगत प्रकरणों के संबंध में अधिनियम व प्रोत्साहन योजना के विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि डी.ई.पी.बी. अपीलार्थी व्यवहारी का स्वयं का उत्पाद नहीं है । अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत 23 टैक्स वल्ड 243 संबंधित प्रोत्साहन योजना के तहत पैकिंग मैटेरियल से संबंधित है, वहीं 32 टैक्स अपडेट 3 रिवर्स टैक्स व माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत सिविल अपील क्रमांक 4552 / 1998 लॉटरी टिकट के वस्तु होने संबंध में है, जो ससम्मान हस्तगत प्रकरणों में लागू किये जाने योग्य नहीं है । ऐसी स्थिति में, प्रोत्साहन योजना के विशिष्टि एवम् स्पष्ट प्रावधानों के आलोक में, व राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(30)एफडी/टैक्स डिवी/2002-143 दिनांक 22.03.2002 की प्रविष्टि संख्या-20अ के आलोक में डी.ई.पी.बी. के विक्रय पर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किये गये कर, सरचार्ज व उक्त कर पर निर्धारित अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों की पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है

अतः उक्त बिन्दु पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की जाती है।

जहां तक अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति का प्रश्न है, रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की हैं जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है। चूंकि हस्तगत अपीलों में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। अतः उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अविधिक होने के कारण अपास्त कर, उक्त बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की जाती है।

जहां तक अपील संख्या 307 / 2009 / उदयपुर का प्रश्न है, निर्धारण वर्ष 1999–2000 के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा परिशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 21.04.2006 को प्रस्तुत किया गया जबकि उक्त अवधि का निर्धारण आदेश दिनांक 01.02.2002 को पारित किया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 37 के तहत परिशोधन प्रार्थना पत्र निर्धारण आदेश दिनांक से 3 वर्ष तक ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 37 (2) का मूल पठन इस प्रकार है:—

अधिनियम की धारा 37 (2):— No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.

चूंकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण वर्ष 1999–2000 के संबंध में परिशोधन प्रार्थना पत्र 3 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरांत प्रस्तुत किया है। अतः दोनों अवर अधिकारियों द्वारा उक्त अवधि के संबंध में प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को उचित रूप से अस्वीकार कर, इस संबंध में विधिक आदेश पारित किये हैं। अतः उक्त संबंध में पारित आदेशों की पुष्टि की जाती है।

जहां तक निर्धारण वर्ष 2001–02 व 2002–03 के संबंध में प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्रों का प्रश्न है, कर व अनुवर्ती ब्याज के बिन्दु पर उपर्युक्त वर्णित तथ्यात्मक एवम् प्रोत्साहन योजना के विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में, अपीलीय

अपील संख्या - 294, 295, 296, 297 व 307 / 2009 / उदयपुर

अधिकारी द्वारा विधिक रूप से आदेश पारित अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गयी है। अतः उक्त बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील क्रमांक 307 / 2009 / उदयपुर अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया।

३१.३.१५
(आशा कुमारी)
सदस्य

२६.३.२०१५
(मदन लाल)
सदस्य